-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 18.04.2025 मौ0 अबरार पुत्र इसरार अहमद निवासी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 15.04.2025 को अज्ञात चोर द्वारा ग्राम महेश्वरी मे मस्जिद के सामने से मेरी मोटरसाइकिल UP-11-BL-6285 को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 133/2025 धारा (2)303बीएनएस के पंजीकृत किया गया एवं **दिनांक 23.04.2025 श्री हिमांशू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम पिंजौरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 19.04.2025 को अज्ञात चोर द्वारा विहान ऐजंसी के सामने से वादी की मोटरसाइकिल UP-11-AQ7485 को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु 0सं0अ0137/2025 धारा (2)303बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोर/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेत लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में वाहन चोरी की घटनाओं के सफल अनवारण व वाहन चोर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठित की गयी। गठित की गयी टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किये गये व पूर्व मे वाहन चोरी मे जेल गये अभियुक्त गण से पूछताछ के क्रम मे दिनांक 24.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 वाहन चोर **अभियुक्तगण 1. अनिकेत पुत्र राजेश निवासी ग्राम दतौली राँघण थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर व 2. हिमांशू पुत्र अशोक निवासी ग्राम दतौली राँघण थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को शकलापुरी बाईपास से चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 02 चोरी की मोटरसाइकिल (UP11BL6285 व UP11AQ7485) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पुछताछ-अभियुक्तो ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि दोनो मोटरसाईकिलो को आज हम लोग बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. अनिकेत पुत्र राजेश निवासी ग्राम दतौली राँघण थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. हिमांशू पुत्र अशोक निवासी ग्राम दतौली राँघण थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन नं0 UP-11-AQ7485

01 मोटरसाइकिल स्पैन्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0 UP-11-BL-6285

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री भीम प्रकाश थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 526 सनोवर ताज, थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
4. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 77 अरुण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा लूट की घटना में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 18.02.2025 को वादी रोहित कुमार पुत्र दल सिंह निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा रामनगर बाईपास पर वादी का रास्ता रोककर वादी से 4500/- रूपये लूट कर भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 70/2025 धारा 309(4)/351(3)/317(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त अमित उर्फ भाडू पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी चक्की वाली गली विजय कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर घटना के बाद से फरार चल रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/लुटेरे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपान में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में लूट की घटना में 01 वांछित **अभियुक्त अमित उर्फ भाडू पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी चक्की वाली गली विजय कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला तकिया थाना क्षेत्र जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। **घटना मे लिप्त 03 अभियुक्तगण को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

अमित उर्फ भाडू पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी चक्की वाली गली विजय कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह शाक्य थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 599 राजीव कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 2106 लोकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त अर्जुन उर्फ कपिल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम लखनौती कलां थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद संख्या 1376/2024 व मु0अ0स0 193/00 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

अर्जुन उर्फ कपिल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम लखनौती कलां थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 973 मोहित थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की अलग-अलग घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये 02 कट्टे गेहूँ, 01 स्टार्टर व कुल 6500/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 10.02.2025 को वादी श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम मोरा थाना बडगांव जिला सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 09.02.2025 को ग्राम मोरा से अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान से 50,000/- रूपये, 01 कट्टा सर्फ , घी तथा चाय पत्ती आदि सामान चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर **मु0अ0सं0 26/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया था तथा **दिनांक 20.03.2025 को वादी श्री गुरमीत पुत्र योगराज निवासी ग्राम मोरा थाना बडगांव जिला सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 01.03.2025 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी की ट्यूबवेल से 01 स्टार्टर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर **मु0अ0सं0 47/25 धारा 303(2) बीएनएस** के पंजीकृत किया गया एवं **दिनांक 24.04.2025 को वादी श्री रविकान्त मित्तल पुत्र शिव कुमार मित्तल निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जिला सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा ग्राम चन्दपुर मजबता में वादी की आटा चक्की से 04 कट्टे गेहू (लगभग 02 कुन्तल) तथा गल्ले से 2000/- रूपये चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर **मु0अ0सं0 70/25 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम/अनावरण हेतु व चोर/नकबजन/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों चोरी की अलग-अलग घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/**अभियुक्तगण 1-सोनू पुत्र समन्दर निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर व 2- सचिन पुत्र सन्तपाल निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को बडगांव आम के बाग के पास बनी मेढ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये 02 कट्टे गेहूँ, 01 स्टार्टर व 6500/- रूपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोगो ने दिनांक 24.04.2025 को गांव चन्दपुर मजबता से रविकान्त मित्तल की आटा चक्की से 04 कट्टे गेहू तथा गल्ले से 2000/- रूपये चोरी कर लिये थे तथा दिनांक 09.02.2025 को ग्राम मोरा से एक दुकान से 50,000/- रूपये, एक कट्टा सर्फ, घी व चाय पत्ती आदि सामान चोरी किये थे जिसमें से सर्फ का, घी, चाय आदि सामान अपने घर पर इस्तेमाल कर लिये तथा 50,000/- रूपयो में से करीब 45,500/- हजार रूपये खर्च कर दिये तथा दिनांक

01.03.2025 को एक ट्यूबवैल से 01 स्टार्टर भी चोरी किया था। दुकान से चोरी के पचास हजार रूपये में से बचे हुए 4500/- रूपये नकद, 02 कट्टे गेहूँ व 2000/- रूपये नकद तथा 01 स्टार्टर आपको हमने बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. सोनू पुत्र समन्दर निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर
2. सचिन पुत्र सन्तपाल निवासी ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 02 कट्टे गेहू व 2000/- रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 70/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बडगांव)
- 01 स्टार्टर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 47/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद स0पुर)
- 4500 रूपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 26/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद स0पुर)

अभियुक्तगण सोनू व सचिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 70/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बडगांव जनपद स0पुर
- मु0अ0सं0 26/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद स0पुर
- मु0अ0सं0 47/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगांव जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1. श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. हे0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. हे0कां0 843 विवेक कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 25.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिसटीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 वाहन चोर **अभियुक्त विवेक पुत्र तेजपाल निवासी सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को शाहजहाँपुर गुरूद्वारे के पास सहारनपुर अम्बाला रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाईकिल (UP 11 CJ 4331) व 01 चाकू बरामद। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल थाना कुतुबशेर के मु0अ0स0 99/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त विवेक उपरोक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त विवेक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 09.04.2025 को शाम के समय मैंने यह मोटरसाईकिल स्काईलार्क होटल के सामने से चोरी की है। जिसे मैं अपने गाँव सलेमपुर लोकल में चला रहा था। रात में इसी मोटरसाइकिल को लेकर घूम रहा था। जैसे ही मैं अम्बाला रोड पर गुरूद्वारे के पास पहुचा तो वहाँ पर आप लोगो ने मुझे पकड लिया। जो चाकू मेरे पास से मिला है उसको मै चोरी के दौरान लोगो को डराने व धमकाने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विवेक पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त विवेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 99/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 140/25 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर (UP-11-CJ-4331)
- 01 अवैध चाकू बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 96 विक्रान्त थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2551 विक्रम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 1773 राहुल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक: 25.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदाक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी / बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 24.04.2025 को चैकिंग के दौरान 01 शातिर **नशा तस्कर अभियुक्त शुऐब पुत्र जाहिद निवासी राजपूत कालोनी न्यू एरा स्कूल के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को हौजखेडी चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त शुऐब उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 115/2025 धारा 8/20/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशे का आदी हूँ, ये चरस एक अनजान व्यक्ति से खरीदकर लाया हूँ, जिसका नाम पता मैं नही जानता हूँ एंव जगह जगह राह चलते लोगो को चरस बेचता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। कल मैं चरस बेचने के लिये ही जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शुऐब पुत्र जाहिद निवासी राजपूत कालोनी न्यू एरा स्कूल के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 500 ग्राम अवैध चरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 513 सोहनवीर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1215 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 25.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साईबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल 65,000/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2025 को वादी रवि कुमार निवासी ग्राम भाभरी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर के द्वारा लिखित सूचना बाबत अज्ञात साईबर ठगो द्वारा वादी से कुल 65000/- रू रूपये की धनराशि की ठगी कर लेने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत संख्या शिकायत सं0 33104250045912 पंजीकृत की करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार के नेतृत्व मे थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी/पीडित के खाते में उनकी पूरी की पूरी राशि (शत प्रतिशत) कुल 65000/- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी है। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25/04/2025 को थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते में कुल 65000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि वापस करायी गयी है। पीडित द्वारा थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साईबर टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. का0 1679 नवीन राठी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
4. का0 577 मोहित गर्ग थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.04.2025 को वादी श्री सुशील पुत्र इकबाल निवासी ग्राम धारकी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त उदय पुत्र स्व0 सुखपाल निवासी ग्राम धारकी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के उपर जान से मारने की नियत से तमंन्चे से फायर करने जिससे हाथ मे गोली लगने से वादी के घायल हो जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 100/25 धारा 352,109 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। दिनांक 16.04.2025 को अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व आपराधिक घटनाओं के अनावरण व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.04.2025 को मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित जेल में निरूद्ध **अभियुक्त उदय पुत्र स्व0 सुखपाल निवासी ग्राम धारकी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को पी0सी0आर लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद तंमचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस को अभियुक्त उदय के जई के खेत जंगल ग्राम धारकी से बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । पीसीआर अभियुक्तगण को समय से मा0 न्यायालय पेश कर जिला कारागार दाखिल किया जा रहा है।

पी0सी0आर0 पर लिए गये अभियुक्त का नाम व पताः-

1. उदय पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम धारकी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगीः-

01 तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

01 खोखा कारतूस 315 बोर

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. का0 2266 अंकित चौहान थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4. कां0 2365 गोपाल थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 अवैध तमंचा व कारतूस .315 बोर सहित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे “अभियान” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.04.2025 को मूखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा काली नदी क्षेत्र के पास चैकिंग/गस्त के दौरान अपने पास अबैध शस्त्र रखने वाले **अभियुक्त शाहरूख पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार को** ग्राम अमरपुर के नाले की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरूख पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार।

बरामदगी का विवरण -

- 01 अवैध तमन्चा 315 बोर।
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 456/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना भगवानपुर हरिद्वार।
2. मु0अ0स0 457/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना भगवानपुर हरिद्वार।
3. मु0अ0स0 458/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना भगवानपुर हरिद्वार।
4. मु0अ0स0 147/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भगवानपुर हरिद्वार।
5. मु0अ0स0 41/20 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना भगवानपुर हरिद्वार।
6. मु0अ0स0 21/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना भगवानपुर हरिद्वार।
7. मु0अ0स0 690/23 धारा 380/411 भादवि थाना भगवानपुर हरिद्वार।
8. मु0अ0स0 502/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना भगवानपुर हरिद्वार।
9. मु0अ0स0 147/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भगवानपुर हरिद्वार।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री लोकेश सिंह राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 342 आशीष तोमर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 641 रवि कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
5. का0 1831 सरल प्रताप सिंह थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना मे वाँछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 1500/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2025 को वादी सुशील कुमार जैन पुत्र श्री नरेश चन्द जैन निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नानौता पर एक लिखित तहरीर बावत वादी के घर मे काम करने वाली नौकरानी सन्तो उर्फ सन्तरो पत्नी महेन्द्र निवासी मौ0 सन्तोष विहार कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा 2100/- रुपये चोरी करने के सम्बन्ध में दिया गया था जिस पर थाना नानौता पर मु0अ0सं0 82/2025 धारा 306 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.04.2025 को थाना नानौता पुलिस मुकदमा उपरोक्त में **वाँछित अभियुक्ता सन्तो उर्फ सन्तरो पत्नी महेन्द्र निवासी मौ0 सन्तोष विहार कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को नानौता बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से चोरी किये गये 1500/- रुपये बरामद किये गये। गिरफ्तरारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तर अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक का कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि मैं सुशील कुमार जैन निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता के घर पर काम करती थी। एक महीने पहले मैने कमरे मे रखे एक लिफाफे व एक छोटे पर्स से 2100 रुपये चुरा लिये थे। जिनमे से 600 रुपये मुझसे खर्च हो गये थे। बाकी बचे हुए रुपये आज मुझसे बरामद हुये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

सन्तो उर्फ सन्तरो पत्नी महेन्द्र निवासी मौसन्तोष विहार कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर 0

बरामदगी का विवरणः-

- 1500/- रुपये (चोरी किये गये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 श्रीमती अवनी उपाध्याय थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 571 पायल थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 25.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सट्टे की खाई बाडी करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 830/- रूपये नकद, 01 डायरी व 01 पेंसिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सट्टे की खाईबाडी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले 01 **अभियुक्त मौहम्मद अली उर्फ भूरा उर्फ सुल्तान पुत्र बशीर अहमद निवासी मौ0 खुमरान पुरानी चुंगी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को बिजलीघर के पास मीरकोट जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 830/- रूपये नकद, 01 डायरी व 01 पेंसिल बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 59/2025 धारा 13 G Act पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौहम्मद अली उर्फ भूरा उर्फ सुल्तान पुत्र बशीर अहमद निवासी मौ0खुमरान पुरानी चुंगी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 830 रुपये नगद
- 01 डायरी
- पैन्सिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0कां0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 25.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित खैर की लकडियों की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबन्धित खैर की कुल 15 कुन्तल 50 किलोग्राम लकड़ी व तस्करी में प्रयुक्त 01 पिकअप गाड़ी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित लकडी आदि अन्य सामान की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व प्रतिबन्धित लकड़ी आदि अन्य सामान की तस्करी में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा ASP/थाना प्रभारी श्री विवेक तिवारी (IPS) व निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 25.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान प्रतिबन्धित खैर की लकड़ी की तस्करी करने वाला 01 **अभियुक्त इरशाद उर्फ काला पुत्र निसार निवासी चको का बाग मो0 काँजीमल कस्बा सुलतानपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को सहारनपुर चिलकाना मुख्य मार्ग से ग्राम कालू माजरा जाने वाले मुख्य मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबन्धित खैर की 15 कुन्तल 50 किलोग्राम लकड़ी व तस्करी में प्रयुक्त 01 पिकअप गाड़ी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 89/2025 धारा 303 (2) /317(2) बीएनएस व 26/33/41/42/52/69 भारतीय वन अधिनियम 1927 में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

इरशाद उर्फ काला पुत्र निसार निवासी चको का बाग मो0 काँजीमल कस्बा सुलतानपुर थाना चिलकाना

बरामदगी का विवरण:-

01 गाडी पिकअप गाड़ी (UP 11 T 4843)

15 कुन्टल 50 किलोग्राम (प्रतिबंधित खैर की लकडी छाल सहित के कुल छोटे-बडे गोटे की संख्या 22)

अभियुक्त इरशाद उर्फ काला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 479/2021 धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण एव पर्वतीय क्षेत्रो मे वृक्षो का सरक्षण अधिनियम 1976 थाना चिलकाना स0पुर
2. मु0अ0स0 89/2025 धारा 303 (2) /317(2) बीएनएस व 26/33/41/42/52/69 भारतीय वन अधिनियम 1927 थाना बेहट स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 378 तरूण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1759 सावन तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.04.205

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा सट्टे का खाईबाडा करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक पेन, डायरी पर्चा सटटा व नगदी 750/- रूपये बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना कोतवाली मण्डी के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा **जुआ / सट्टे की खाई बाडी करने वाला अभियुक्त शहजाद उर्फ गौरी पुत्र वहीद निवासी पूर्व पता पीर वाली गली नं 17 थाना मंडी सहारनपुर हाल पता 62 फुटा चौक इनाम कालोनी ग्रीन पार्क के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को 62 फुटा रोड पर खाली पडे प्लाट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूध्द थाना कोतवाली मण्डी मु0अ0स0 169/2025 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहजाद उर्फ गौरी पुत्र वहीद निवासी पूर्व पता पीर वाली गली नं 17 थाना मंडी सहारनपुर हाल पता 62 फुटा चौक इनाम कालोनी ग्रीन पार्क के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त शहजाद उर्फ गौरी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 19/18 धारा 3,4 जुआ अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 386/18 धारा 3,4 जुआ अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 468/21 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 601/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 84/18 धारा 3,4 जुआ अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 384/15 धारा 13 जी जुआ अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 424/21 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 433/15 धारा 13 जी जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 533/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 674/18 धारा 3,4 जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
11. मु0अ0सं0 170/12 धारा 13 जी जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
12. मु0अ0सं0 278/12 धारा 13 जी जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
13. मु0अ0सं0 276/16 धारा 3,4 जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
14. मु0अ0सं0 408/16 धारा 2बी(ii)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
15. मु0अ0सं0 05/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

16.मु0अ0सं0 328/11 धारा 13 जी जुआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
17.मु0अ0सं0 394/11 धारा 110 जी गुण्डा अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- एक पेन
- सटटा पर्चा डायरी
- 750/- रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 516 सोनू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1600 मनोज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक 25-04-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 26.11.2020 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त संदीप पुत्र प्रेम निवासी मौहल्ला छत्ता रामलीला भवन के सामने थाना गंगोह जनपद-सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 646/2020 धारा 354(क) भादवि 9 एम/10 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया। उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-192/2021 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 25.04.25 को अभियुक्त संदीप पुत्र प्रेम उपरोक्त को मु0अ0स0-646/20 धारा 376 भादवि व 8/5एम/6 पोक्सो का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती शहजाद खान
विवेचक उपनिरीक्षक विनीत मलिक
पैरोकार का0 आजाद थाना गंगोह सहारनपुर।

दिनांक 25-04-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.03.2022 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अर्जुन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम झबीरन थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर मु0अ0स0-34/22 धारा 354ख, भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1666/22 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 25.04.2025 को अभियुक्त अर्जुन पुत्र कृष्णपाल उपरोक्त को मु0अ0स0 34/2022 धारा 354ख भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री विवेक कौशिक

विवेचक निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार

पैरोकार का0 नितिन कुमार थाना बडगांव सहारनपुर